1/5

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा

Office of the Executive Engineer , PWD, Almora Uttarakhand
E-mail:eepdalmora@rediff.com

पत्रांक 2335 /7 सी0 — दिनांक 22 सितम्बर 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषयः **जनपद–अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अंतर्गत कोसी दौलाघट मोटर मार्ग से धौतीगाड़–पंचगॉव–स्यूरा लिंक रोड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.708 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Proposal No-FP/UK/ROAD/ 44176/2020)**

सन्दर्भः **भारत सरकार का पत्र संख्या 08बी/यू0सी0पी0/06/104/2020/एफ0सी0/2036 दिनॉक 28.12.2020**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन इस कार्यालय के पत्र सं0 1276/7सी0 दिनॉक 17.06.2021 को प्रेषित किया गया है पुनः बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित हैः–

क्रम सं0	अधिरोपित शर्तें	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	**शर्त संख्या–1** के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
2.	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद वन भूमि सौंपी जाएगी।	**शर्त संख्या–2** शर्त सं0 2 से प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः** **क)**वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7. 416 है0 अवनत वन भूमि गणानाथ क0सं0 6 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एक प्लांटेशन से बचें।	**शर्त संख्या–3(क)** के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु धनराशि रू 2500557.00 (पच्चीस लाख पॉच सौ सतावन) की धनराशि उत्तरॉचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक नं0 3)।
	ख)वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	यह बिन्दु आपके प्रभाग से सम्बन्धित है।

4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लाग वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	**शर्त संख्या–4** से प्रयोक्ता एजेंसी सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या :202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक–30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 24. 04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt) दिनांक–18. 09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक–03.10. 2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक–05.02. 2009 में जारी दिषानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.554 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	**शर्त संख्या–5(क)** के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रू 2436156.00(चौबीस लाख छत्तीस हजार एक सौ छप्पन) की धनराशि उत्तरॉचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक नं0 3)।
	ख) विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	**शर्त संख्या–5(ख)** के अनुपालन में एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धित बचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है(संलग्नक नं0 4)।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 306 वृक्षों से अधिक की नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई लागत जमा की जाएगी।	**शर्त संख्या–6** के अनुपालन में 306 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
7	परियोजना के तहल प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किये जाएंगे।	**शर्त संख्या–7** के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से रू 4936713.00 की धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर लिये गये है। चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक सं0 3)।
8.	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने करने के लिए परित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह	आदेश की प्रति संलग्न है।

	सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनॉक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा काई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	**शर्त संख्या–9** के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
10.	प्रयोक्ता अभिंकरण आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर पोधों की संख्या बढाएगा।	**शर्त संख्या–10** के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
11.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	**शर्त संख्या–11** के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	**शर्त संख्या–12** के अनुपालन में पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त किया जायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	**शर्त संख्या–13** के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
14	वन भूमि एवं आस पास की भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	**शर्त संख्या–14** के अनुपालन में वन भूमि में कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायगा।	**शर्त संख्या–15** के अनुपालन में राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
16	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	**शर्त संख्या–16** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	**शर्त संख्या–17** के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)

18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	**शर्त संख्या–18** के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	**शर्त संख्या–19** के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनॉक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	**शर्त संख्या–20** शर्त सं0 20 से प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी	**शर्त संख्या–21** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	**शर्त संख्या–22** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	**शर्त संख्या–23** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)

24	अनुपालन में अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	**शर्त संख्या–24** के अनुपालन में अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर ली गयी है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)

अतः अनुरोध है कि मार्ग में विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्न–उपरोक्तानुसार 5–5 प्रतियों में।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

पत्रांकः– 2335 /7सी0 **तद्दिनॉक**

प्रतिलिपिः–सहायक अभियंता(षष्ठम), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............1

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............2

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद वन भूमि सौंपी जाएगी। इस कथन से प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

Challan

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 31-03-2021

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	EXECUTIVE ENGINEER
PIF/Application No.	6144176394
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/104/2020/FC
Address.	Provincial Division P.W.D., AlmoraAlmora
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepdalmora@rediffmail.com 7533877888 5962-2320033
Amount(in Rs)	4936713/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount in Words :Forty-Nine Lakh Thirty-Six Thousand Seven Hundred and Thirteen Rupees Only

(Signature)

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

may send a line of confirmation through Email: helpd...

Challan, if the payment status has not been updated ev... ...ction date to

Tran id:- 545540699

12/04/2021

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India अल्मोड़ा शाखा Almora Branch (U.K.)

द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
प्रभागीय अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

...teChallanCorp.aspx?pid=ROAD441762020394

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/17001/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/17001/2015) Consturction of Baga- Palna- Anariyakot- Katyari- Chonli and Guna to Jaskot Motor Road. (ength 2.500km)	ROAD170012015577	6117001577	22 Sep 2020	CA: 1690370/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 363978/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2054348/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 31 Mar 2021 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : Union Bank Of India (Challan) Challan Generated On : 31 Mar 2021 Transaction Date : 14 Jun 2021	Demand Letter (../writeaddata/Fundpdf/31131123
2	FP/UK/ROAD/39213/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/39213/2019) Majkhali-Digoti motor Road to Majethi Village Motor Road(Length 4.00KM)	ROAD392132019693	6139213693	13 Oct 2020	CA: 430247/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 419166/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 849413/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 31 Mar 2021 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : Union Bank Of India (Challan) Challan Generated On : 31 Mar 2021 Transaction Date : 14 Jun 2021	Demand Letter (../writeaddata/Fundpdf/311311231
3	FP/UK/ROAD/44176/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/44176/2020) Construction of Dhautigad Panchgav Syura Link Motor Road Length 6.00KM	ROAD441762020394	6144176394	28 Dec 2020	CA: 2500557/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 2436156/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4936713/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 31 Mar 2021 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : Union Bank Of India (Challan) Challan Generated On : 31 Mar 2021 Transaction Date : 14 Jun 2021	Demand Letter (../writeaddata/Fundpdf/311311228121SNF8JMpan
4	FP/UK/ROAD/44236/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/44236/2020) CONSTRACTION OF KARNATAK KHOLA TO RAILAPALI AND CONNECTING SARKAR KI AALI TO VIKASH BHAWAN MOTER ROAD LENGTH 3.00KM	ROAD442362020663	6144236663	15 Oct 2020	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 607725/-, tree plantation in outer of motor road : 798600/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1406325/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 01 Apr 2021 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : Union Bank Of India (Challan) Challan Generated On : 25 May 2021 Transaction Date : 14 Jun 2021	Demand Letter (../writeaddata/Fundpdf/31131124
5	FP/UK/ROAD/42092/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/42092/2019) Chitlakhet Bora State To Syahi devi Temple Motor Road in Disst. Almora Length 3.800KM	ROAD420922019151	6142092151	14 Sep 2020	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 82125/-, tree plantation : 958320/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1040445/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 02 Oct 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : Corporation Bank (Challan) Challan Generated On : 31 Dec 2020 Transaction Date : 18 Dec 2020	Demand Letter (../writeaddata/Fundpdf/91129125 Generated Challan (../UserAccount/GenerateChallan(pid=ROAD420922019151)

छाया प्रति प्रमाणित

बिन्दु सं0............4

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पक्ष में जमा करा दिया जायेगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............5 ख

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में बृद्धि होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि को वन विभाग के पक्ष में जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता एजेंन्सी सहमत है।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............6

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि 306 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

(1)

विक्र० 8

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962:232182 ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 275 /12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 13-7- 2021

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
अल्मोड़ा।

2979
20/7/21

विषयः जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अंतर्गत कोसी दौलाघट मोटर मार्ग से धौतीगाड़–पंचगॉव–स्यूरा लिंक रोड मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.708 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 44176/2020)

सन्दर्भः आपकी पत्र सं0 1529/7सी0 दिनांक 06.07.2021।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में उक्त मोटर मार्ग संरेखण के दोनों ओर पीलरबन्दी आदि कार्य पूर्ण कर उसके अन्दर आने वाले प्रस्ताव अनुसार वृक्षों को किसी पक्के रंग से चारों ओर से चिन्हित करवा लें। तत्पश्चात संबन्धित वन क्षेत्राधिकारी से सम्पर्क कर वृक्षों का छपान करवा लिया जाये।

संलग्न– वृक्षों की सूची।

AE I/Amin

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

पत्रांक 275/12-1(2) उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– उपप्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– वन क्षेत्राधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त मोटर मार्ग अन्तर्गत आने वाले वृक्षों की सूची संलग्नक सूची के अनुसार वृक्षों का छपान कर सूची कार्यालय को प्रस्तुत किया जाये।

प्रतिलिपि– राजस्व लिपिक को उक्त मोटर मार्ग अन्तर्गत आने वाले वृक्षों की सूची प्रेषित कर लिखा जाता है कि सूची प्राप्त होने पर वृक्षों का मिलान करने के उपरान्त लौट वन निगम को आवंटित करना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............10

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढायेगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............11

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............12

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त किया जायेगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............13

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट नहीं बदला जाएगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............14

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि में कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............16

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............17

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............18

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............19

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............20

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनॉक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............21

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............23

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति ली जायेगी।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............24

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।